




न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा  
अपील वाद संख्या-72/2015  
सत्यम राई मिल बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
<p>26/11/2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत वाद सत्यम राईस मिल द्वारा पार्टनर शैलेश कुमार साकिन खैरा, पो0-खैरा कुज्जी, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा की ओर से आवेदक एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा के बीच निष्पादित एकरारनामा दिनांक-20.02.2013 की कंडिका-16 में उद्धृत तथ्यों के आलोक में वाद आवेदन दायर किया गया है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निश्चित तिथि को न तो हाजरी दिये है और न ही उपस्थित है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अपीलार्थी गलत ढंग से आवेदन कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिससे विविध वाद से अंकित कर चलाया जा रहा है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है मध्यस्थता अधिनियम की धारा-03 में उल्लेखित है कि दोनों पक्षों की सहमति यानि दोनों पक्षों के हस्ताक्षरित मूल आवेदन होना चाहिये, जो नहीं है। साथ ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा-07 का उल्लेख भी किये हैं जो एकरारनामा से संबंधित है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता वाद को समाप्त करने का अनुरोध करते है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संघारित तथ्यों के अवलोकन से मेरा समाधान होता है कि प्रस्तुत वाद विधि सम्मत नहीं है, जिस कारण इस वाद की कार्यवाही को चालाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतएव प्रतिग्रहण के बिन्दु पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।         </div> <div style="text-align: center;">               समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।         </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">नापाके 57   क्लिप डिप्टि, बिना 10-01-17</p> <p>प्रतिपत्ति :- विद्वान् प्रतिकक्षी प्रवेद्य, एवं अडिब की. एकरार में प्रयत्न न तदनुसार अनुपातवारी प्रवेद्य।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               प्रमुखी समाहर्ता              क्लिप डिप्टि प्रशाखा              की कार्यालय।              09/11/16         </div>	